



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

N-15011/1/2023-P&D

दिनांक: 31.10.2025

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत मेघालय राज्य के गैर अधिसूचित जिलों नामतः पश्चिम गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स, उत्तर गारो हिल्स, पूर्व गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स और पश्चिम जयंतिया हिल्स जिलो के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना संबंधी / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in all the area of non-notified districts namely West Garo Hills, South Garo Hills, North Garo Hills, East Garo Hills, South West Garo Hills and West Jaintia Hills districts of Meghalaya.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 17.10.2025 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 4744 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- CG-DL-E-18102025-267028)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत मेघालय राज्य के गैर अधिसूचित जिलों नामतः पश्चिम गारो हिल्स, दक्षिण गारो हिल्स, उत्तर गारो हिल्स, पूर्व गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स और पश्चिम जयंतिया हिल्स जिलो के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 01.11.2025 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 4744(E) dated 17.10.2025 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 17.10.2025 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-18102025-267028)

Under Section 1(3) of the Employees' State Insurance Act, 1948, the Employees' State Insurance Act will be applicable to all areas of the non-notified districts of Meghalaya namely West Garo Hills, South Garo Hills, North Garo Hills, East Garo Hills, South West Garo Hills and West Jaintia Hills with effect from November 1, 2025.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है / the current status of the notified/non-notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	620
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	93
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	66
कुल / Total	713 / 779

संलग्नक - यथोपरि

(शैलेन्द्र कुमार मिश्र)
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, असम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।